L: hadi chamda(P).doc

विज्ञप्ति

मृत पशु शव निस्तारण सूचना वर्ष 2021–22

पत्रांकः 903 / मृ0प0श0नि0 / 2021

दिनांकः 09/02/2021

मृत पशु शव निस्तारण से सम्बन्धित समितियों के सभापति एवं इस पेशे से सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि समय–समय पर प्रसारित शासनादेशों के अनुसार जिला पंचायत अमरोहा द्वारा जनपद अमरोहा के ग्रामीणों क्षेत्रों के मृत पशुओं के शव निस्तारण के लाईसेंस वर्ष 2021–22 के लिये विकास खण्ड वार/ न्याय पंचायत वार रायल्टी पर नियमानुसार वृद्धि के साथ देने हेतु पंजीकृत क्रियाशील एवं जीवित सहकारी समितियों के प्रार्थना पत्र दिनांक 18.02.2021 को सायं 5:00 बजे तक कार्यालय जिला पंचायत अमरोहा में आमन्त्रित किये जाते हैं। समितियों के प्राप्त प्रार्थना पत्रों के परीक्षणोंपरान्त पात्र समितियों को लाईसेंस दिये जाने की कार्यवाही दिनांक 23.02.2021 तक की जाएगी। जिन समितियों के विरूद्ध किसी प्रकार की अवशेष धनराशि होगी उन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। उक्त नियत तिथि में समितियों के उपस्थित न होने/भाग न लेने पर अवशेष विकास खण्ड की निविदा पैतृक रूप से इस पेशे से सम्बन्धित व्यक्तियों के मध्य आमंत्रित की जायेगी। बकायेदार समिति निविदा की निर्धारित तिथि से पूर्व बकाया जमा करती है, और अपने क्षेत्र के लाईसेंस हेतु आवेदन करती है, तब समितियों को वरीयता दी जायेगी।

उक्त तिथि तक समितियों के नाम लाईसेंस/ठेका न होने की दशा में मृत पशु शव निस्तारण के ठेके से सम्बन्धित निविदायें दिनांक 10.03.2021 की दोहपर 12:00 बजे तक कार्यालय जिला पंचायत अमरोहा में रखे टेण्डर बॉक्स में आमन्त्रित की जाती हैं जो उसी दिनांक 10.03.2021 को सायं 3:00 बजे निविदा समिति द्वारा तत्समय उपस्थित ठेकेदारों के समक्ष खोली जायेंगी। निविदायें दिनांक 05.03.2021 से 08.03.2021 को दोपहर 12:00 तक कार्यालय से नियमानुसार भुगतान कर सम्बन्धित पटल सहायक से प्राप्त की जा सकती है। नियमानुसार धरोहर धनराशि एन0एस0सी0/डाकखाने की पासबुक/एफ0डी0आर0 के रूप में जमा करनी होगी जो कि अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत अमरोहा के नाम बंधक होगी। बिना अग्रिम बयाने की धनराशि के कोई टेण्डर मान्य नहीं होगा। निविदा से सम्बन्धित उक्त का पृथक–पृथक पूर्ण विवरण कार्यालय में एवं अमरोहा की वेवसाईट **amroha.nic.in** पर देखी जा सकती है। सम्बन्धित नियम व शर्तें कार्यालय दिवस में देखी व पढी जा सकती है। टेण्डर स्वीकार करने का अधिकार प्रशासक महोदय जिला पंचायत में प्रतिनिहित होगा।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत अमरोहा

कार्यालय जिला पंचायत अमरोहा

पत्रांकः 903 /जि0पं0अ0 / 2021

दिनांकः

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रशासक जिला पंचायत/जिलाधिकारी महोदय अमरोहा।
2– मुख्य विकास अधिकारी अमरोहा।
3– सम्पादक .... अमरोहा को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त विज्ञापन को अपने समाचार पत्र में कम से कम स्थान पर एक बार प्रकाशित कर (5,000/– पाँच हजार रूपये) के अन्तर्गत बिल भुगतान हेतु कार्यालय में प्रस्तुत करें।
4– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी अमरोहा को इस अनुरोध के साथ कृपया इस विज्ञापन को जनपद अमरोहा की बेवसाइट **amroha.nic.in** पर अपलोड करने का कष्ट करें।
5– अभियन्ता/वित्तीय परामर्शदाता/कार्य अधिकारी जिला पंचायत अमरोहा।
6– खण्ड विकास अधिकारीगण समस्त क्षेत्र पंचायत अमरोहा।
7– जिला पंचायत अमरोहा के समस्त राजस्व निरीक्षकों को सूचनार्थ।
8– नाजिर जिला पंचायत अमरोहा को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत अमरोहा